

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

पत्रांक: 479 / मानचित्र / जि0पं0 / 2026-27

दिनांक: 02 मई, 2026

Shades Infratech LLP

द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी,

श्री मोहम्मद अली

पुत्र मोहम्मद जहीर,

निवासी-158 / 131, जी0पी0 रोड,

रकाबगंज, अमीनाबाद पार्क,

जनपद लखनऊ ।

विषय: कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्र दिनांक 02-02-2026 में उल्लिखित उपबन्धों/प्रतिबंध संख्या-30 को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01-05-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्रांक-2886/उ0प्र0 रेरा/तक0सेल0/2025-26, दिनांक 28-03-2026 का उल्लेख करते हुए कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी से निर्गत अनुज्ञा पत्र दिनांक 02-02-2026 में उल्लिखित उपबन्धों/प्रतिबंध संख्या-30 को हटाने का अनुरोध किया गया है । इस हेतु आप द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30-04-2026 संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है ।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20-11-2025 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-554अ, 557, 558मि, 563, 564 व 556 (Lat 26.902795°, Long 81.103309°) स्थित ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में EVARA-SHADES (SHALIMAR EVARA) के नाम से अपार्टमेन्ट/ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 19547.31 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 234.00 मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा प्रदान की गयी है ।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30-04-2026 में इवारा हाईट्स ग्रुप हाऊसिंग के अन्तर्गत आने वाले ग्राम केवाड़ी की गाटा संख्या-556, 557, 558मि, 560, 561, 563 व 564 के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि न होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है । ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा अग्रसारित आख्या दिनांक 30-04-2026 में उक्त प्रदर्शित क्षेत्रफल में बिन्दु संख्या-30 में वर्णित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भूमि/कोई भी ग्राम समाज की भूमि स्थित नहीं है । अतः अनुज्ञा पत्र के बिन्दु संख्या-30 को संशोधित/निरस्त समझा जाए ।



अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

परमिट संख्या: 384/मानचित्र/जि0प0/2025-26

दिनांक: 02/02/2026

Shades Infratech LLP  
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी,  
श्री मोहम्मद अली  
पुत्र मोहम्मद जहीर,  
निवासी-158/131, जी0पी0 रोड,  
रकावगंज, अमीनाबाद पार्क,  
जनपद लखनऊ ।

### अनुज्ञा-पत्र

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20-11-2025 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-554अ, 557, 558मि, 563, 564 व 556 (Lat 26.902795°, Long 81.103309°) स्थित ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में EVARA-SHADES (SHALIMAR EVARA) के नाम से अपार्टमेण्ट/गुप हाउसिंग निर्माण हेतु कवर्ड एरिया 19547.31 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 234.00 मीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-यूआईडी संख्या-यू पी एफ एस/2025/167824/बीआरबी/बाराबंकी/1730/सीएफओ, दिनांक 04-08-2025, निर्गत दिनांक 08-08-2025 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 29-01-2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

स्वीकृति दिनांक 29-01-2026 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18 अप्रैल, 2020 व यथासंशोधित उपविधि दिनांक 27-12-2025 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबंध सहित स्वीकार किया जाता है।

- (1) अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
- (2) मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक का उत्तरदायित्व होगा कि वह लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
- (3) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- (4) प्रतिबंध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/ उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
- (5) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।
- (6) प्रतिबंध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स/लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
- (7) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
- (8) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किये जायेंगे, जिसका कुल कवर्ड एरिया भवन 19547.31 वर्ग मीटर एवं ओपेन एरिया 4174.23 वर्ग मीटर से ही निर्माण कार्य प्रतिबन्धित होगा।
- (9) प्रतिबंध यह रहेगा कि निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो कि 05 किमी० की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- (10) स्वीकृत मानचित्र के निर्माणकर्ता/स्वामी द्वारा परियोजना स्थल पर आयरन बोर्ड लगाकर स्वीकृत मानचित्र, आदेश संख्या, कुल क्षेत्रफल, भवनों की संख्या, वैधता अवधि व अन्य सुसंगत विवरण प्रदर्शित करना व कार्यस्थल पर अनुमोदित मानचित्र की रंगीन प्रतियाँ रखना तथा ग्राहक द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।
- (11) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य नहर की सीपेज ड्रेन एवं रेत नाला/नदी के डूब क्षेत्र को छोड़कर तथा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- (12) प्रतिबंध यह रहेगा कि कम से कम 63 वृक्ष का वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (13) प्रतिबंध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
- (14) प्रतिबंध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
- (15) प्रतिबंध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
- (16) प्रतिबंध यह रहेगा कि प्रस्तुत मानचित्र के एरिया एवं अग्निशमन विभाग से निर्गत औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित एरिया में पायी गयी भिन्नता का प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार सही कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व भवन स्वामी/संस्था का होगा।
- (17) स्वीकृत मानचित्र में इलेक्ट्रिक लाइन से ऊर्ध्वाकार दूरी 3.70+(0.305 मीटर) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज एवं 1.80+(0.305 मीटर) प्रत्येक 33000 वोल्टेज पर क्षैतिज दूरी सुनिश्चित की जाएगी
- (18) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित स्थल की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है।
- (19) व्यावसायिक भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।
- (20) शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिए, जिसके लिये सेप्टिक टैंक, टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- (21) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाय। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (22) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत अनुज्ञा के दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो आवेदक/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (23) भारत सरकार अथवा उ0प्र0 सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण अनुमन्य नहीं है।
- (24) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (25) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।
- (26) किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय, बाराबंकी होगा।
- (27) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।
- (28) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- (29) स्वीकृत मानचित्र पर एस0सी0आर0 (स्टेट कैपिटल रीजन) द्वारा भविष्य में निर्धारित महायोजना स्वतः प्रभावी होगी।
- (30) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अभियन्ता, 31/10/26  
जिला पंचायत, बाराबंकी

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत बाराबंकी

पृष्ठांकन संख्या: /मानचित्र/जि0पं0/2025-26तददिनांकित।

प्रतिलिपि :

- 1- सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपायुक्त, उद्योग, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी।

मान्यता पात्रता शुभक

वर्ष - 2025-2026

RTGS / SBINR52026013014

6356131 SBIN 3030-01-2026

प्रजिला परिषद् क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5 वन

क्र. SA(नियम 41 देखिये) Pratech UP

एडवका साइड्ड कार्डन गेपर पर अभिट मिनिल से लिखा जायगा

जिला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम को रबड स्टाम्प

वही संख्या 5158123131

भाजि अजिटर संख्या 2 का काजज आभ/नावा/ 847 से

विल संख्या 5112130 - (रुपया शब्दा में)

के पूर्ण/आशिक भुगतान के मद्दे प्रायहुआ।

208256 रूपया 200 वना के मद्दे

3वा न 60 लवा 1 वना मुख, अधिकारी खंड विकास अधिकारी

स्थान का प्रपत्र 1 नुय 13/12/2021 निमो का

दिनांक 30-01-2026 न। न. समाहर्ता (किपस कलक्टर)

लेखाकार जाल फन से 2152 मगा तथा कपन का प्रपारी लिपिक

कर अधिकारी।

मूल्य =

पी0एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-16.10.2023-5000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड स्टाम्प

वही संख्या रसीद संख्या 422187

रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई

रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने

धनराशि वसूल की

इस कपन को जमा करने वाले

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

## कार्यालय जिला पंचायत, बाराबंकी

पत्रांक: 3778/मानचित्र/जि0पं0/2025-26

दिनांक: 30 जनवरी, 2026

Shades Infratech LLP

द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी,

श्री मोहम्मद अली

पुत्र मोहम्मद जहीर,

निवासी-158/131, जी0पी0 रोड,

रकाबगंज, अमीनाबाद पार्क,

जनपद लखनऊ ।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20-11-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी स्थित खसरा/गाटा संख्या-554अ, 557, 558मि, 563, 564 व 556 पर EVARA-SHADES (SHALIMAR EVARA) के नाम से अपार्टमेण्ट/गुप हाउसिंग निर्माण प्रस्तावित करते हुए मानचित्र की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है ।


उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 29-01-2026 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत, बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 18-04-2020 व यथासंशोधित उपविधि दिनांक 27-12-2025 के उपबन्धों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है । कृपया मानचित्र का नियमानुसार पारण शुल्क रू0 2082567.00 जमा कराने का कष्ट करें, ताकि आपके उपरोक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या-554अ, 557, 558मि, 563, 564 व 556 स्थित ग्राम केवाड़ी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में EVARA-SHADES (SHALIMAR EVARA) के नाम से अपार्टमेण्ट/गुप हाउसिंग निर्माण का मानचित्र में प्रदर्शित संरचना के अनुसार कवर्ड एरिया 19547.31 वर्ग मीटर एवं बाउण्ड्रीवाल की लम्बाई 234.00 मीटर प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति का अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सके । खाता विवरण निम्नवत् है:-

1-जिला निधि जिला पंचायत, बाराबंकी

2-खाता संख्या 751810110008055

3-आईएफएससी : BKID0007518

4-बैंक का नाम : बैंक ऑफ इंडिया, पंचायत भवन शाखा  
बाराबंकी




अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी

पत्रांक: / दिनांक : उपरोक्त ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- लेखाकार, जिला पंचायत, बाराबंकी ।

2- प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, पंचायत भवन शाखा, बाराबंकी ।

  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, बाराबंकी